

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 176 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX ( /19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

विषय:-हिन्दी (शाखा-सामान्य)

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	श्री राकेश प्रसाद भट्ट	रा.इ.का. रौतू की बेली	जौनपुर	टिहरी	रा.इ.का. नागधात (कालसी) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	12	श्री केवल धारी	रा.उ.मा.वि. लामग्रान्ट	भगवानपुर	हरिद्वार	रा.इ.का. पुजारगांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	17	श्री कमल प्रकाश चौहान	रा.उ.मा.वि. पीली पड़ाव	बहादुराबाद	हरिद्वार	रा.इ.का. रगड़गांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	21	श्रीमती सुमनलता सकलानी	रा.उ.मा.वि. काण्डीखाल	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. नागराजाधार नगुण (धौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	23	श्री विमल स्वरूप रतूड़ी	रा.इ.का. कालसी	कालसी	देहरादून	रा.इ.का. लाखामण्डल (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	26	श्री पुष्कर सिंह बर्वाल	रा.इ.का. गुप्तकाशी	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. कोटमा (ऊखीमठ) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	38	श्रीमती सर्वेश्वरी बैरवाण	रा.इ.का. होरावाला	विकासनगर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. बरौंथा (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	71	श्रीमती विजया असवाल	रा.उ.मा.वि. बहेड़ा	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. रगड़गांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

(6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3127-50/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तोक्तित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 177 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX /19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-सामाजिक विज्ञान (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	श्री विक्रम सिंह चौहान	रा.इ.का. मालतोली	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. खडपतिया (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	13	श्री महावीर सिंह परमार	रा.इ.का. जाखणीधार	जाखणीधार	टिहरी	रा.इ.का. हिंसरियाखाल (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	15	श्री विपेन्द्र कुमार	रा.इ.का. कण्वघाटी	दुगड्डा	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. चापेड़ा मल्ला (यकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	18	श्री राधेश्यामपाल	रा.उ.मा.वि. डूंगा	सहसपुर	देहरादून	रा.इ.का. श्रीकोट (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	25	श्रीमती शान्ति रावत	रा.इ.का. ज्ञानसू	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. नागेश्वर सौड़ (भिलगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	28	श्री हरीश पाल	रा.इ.का. कोटिकालोनी	कालसी	देहरादून	रा.इ.का. नागराजाधार चिलेड़ी (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	29	श्री प्रकाश लाल गोस्वामी	रा.इ.का. बगासूधार	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. मैण्डखाल (धौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	32	श्रीमती राजेश्वरी देवी	रा.इ.का. हरबर्टपुर	विकासनगर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. पिलानीधार (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	36	श्री कुशल सिंह कलेथा	रा.इ.का. डांगचौरा	कीर्तिनगर	टिहरी	रा.इ.का. कुण्डभरपुर खाल (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	49	श्री चन्दन सिंह नाथ	रा.इ.का. चिन्यालीसौड़	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. कोटधार गमरी (चिन्यालीसौड़) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	59	श्री बलराज सिंह गुसाईं	रा.इ.का. श्रीनगर	खिसू	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. ओनालगांव (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	64	श्री मदन सिंह भण्डारी	रा.इ.का. पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. बड़कोट (कलजीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति



13	69	श्री ललित मोहन पाण्डे	रा.इ.का. नागणी	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. गरवाणगांव (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	73	श्रीमती इन्दु घुनियाल	रा.उ.मा.वि. कोटड़ा सन्तूर	सहसपुर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. हयोटगरी (कालसी) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	80	श्री देवानन्द देवली	रा.उ.मा.वि. ओणी	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. तोलोसैण मुखेम (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
16	83	श्रीमती कुलवीर सिंह भण्डारी	जि.शि.एवं प्रशिक्षण (डायट) टिहरी	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. महडजाली (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	85	श्री अशोक कुमार	रा.इ.का. नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.उ.मा.वि. मयपाटा (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
18	86	श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह सजवाण	रा.इ.का. तपोवन	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. मुन्नाखाल (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
19	87	श्री भरत सिंह पंवार	रा.इ.का. नन्दप्रयाग	दशोली	चमोली	रा.उ.मा.वि. झिलोटी (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
20	89	श्री निर्मल कुमार थपलियाल	रा.इ.का. मियांवाला	डोईवाला	देहरादून	रा.इ.का. काटल (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
21	91	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	रा.इ.का. कोटद्वार (सुखरौं)	दुगड्डा	पौड़ी	रा.इ.का. चाक्यूसैण (द्वारीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी



पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3151 - 99/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



**कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 178 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19**  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-गणित (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण	रा.इ.का. बौराड़ी	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. सिलारी (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	31	श्री आत्मप्रकाश	रा.इ.का. बैरांगना	दशोली	चमोली	रा.इ.का. गण्डी (जोशीमठ) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	34	श्री रमेश चन्द्र जोशी	रा.इ.का. क्यारी	जौनपुर	टिहरी	रा.इ.का. कण्डियालगांव (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	37	श्री अनिल कुमार शर्मा	रा.इ.का. तिलकनगर	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. रणाकोट (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	47	श्री अजय सिंह	रा.इ.का. बुल्लावाला	डोईवाला	देहरादून	रा.इ.का. तोलीसैण मुखेम (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	50	श्री रमेश चन्द्र किमोठी	रा.इ.का. गुजराड़ा	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. कनफोलाखाल (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	51	श्री विक्रम सिंह नेगी	रा.इ.का. मेहूवाला	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. भल्लियाणा (थौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	53	श्री देवेन्द्र प्रसाद दरमोड़ा	रा.इ.का. मियांवाला	डोईवाला	देहरादून	रा.इ.का. धिमतोली (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	54	श्री शशिकान्त द्विवेदी	रा.इ.का. मेहूवाला	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. मैण्डखाल (थौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	55	श्री रामनाथ सिंह	रा.इ.का. चोपड़ा	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. बाँठ भरपूर (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	61	श्री सुशील कुमार वाजपेयी	रा.इ.का. बड़खोलू	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.इ.का. बांडा (थौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	65	श्री जगदम्बा प्रसाद डोभाल	रा.इ.का. दूधली	डोईवाला	देहरादून	रा.इ.का. केशरधार नैचोली (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति



13	72	श्री मनोज उनियाल	रा.उ.मा.वि. कण्डारगांव	शौलधार	टिहरी	रा.इ.का. क्यारी नगुण (शौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	74	श्री सत्य प्रकाश शर्मा	रा.उ.मा.वि. तल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. बमाणा (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	75	श्री माधव प्रसाद जोशी	रा.इ.का. उत्तरकाशी	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	रा.इ.का. मुस्टिकसौड़ (भटवाड़ी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
16	76	श्री कृष्ण कुमार अवस्थी	रा.उ.मा.वि. टाण्डा बन्हेड़ा	नारसन	हरिद्वार	रा.इ.का. महड़जाली (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	78	श्री अमरेन्द्र कुमार	रा.इ.का. मालदेवता	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. पुजारगांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी


पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3200-40 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।



- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

  
(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी



**कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 179 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19**  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2)/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-अंग्रेजी (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	श्री जहीद अहमद अंसारी	रा.इ.का. थानौं	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. रगड़ागांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	39	श्रीमती प्रतिभा भण्डारी	रा.उ.मा.वि. लोयल दोगी	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. नागराजाधार बमुण्ड (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	48	श्री रत्नाकर द्विवेदी	रा.इ.का. खुड़बुड़ा	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. कण्डोई भरम (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	57	श्रीमती मंजू बहुगुणा	रा.इ.का. किशनपुर	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. काटल (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	62	श्रीमती बसु चौहान	रा.उ.मा.वि. रामपुर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. दौंक (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	77	श्री राजेश कुमार	रा.इ.का. डाकपत्थर	विकासनगर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. मैन्धथ (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	79	श्री चन्द्र शेखर दीक्षित	रा.उ.मा.वि. टाण्डा बन्हेड़ा	नारसन	हरिद्वार	रा.उ.मा.वि. क्यार्क बरसूड़ी (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	82	श्रीमती कुमुद मलासी	रा.उ.मा.वि. उरेगी	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. पैठाणी (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।



**कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 179 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19**  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2)/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-अंग्रेजी (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	श्री जहीद अहमद अंसारी	रा.इ.का. थानौं	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. रगड़गांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	39	श्रीमती प्रतिभा भण्डारी	रा.उ.मा.वि. लोयल दोगी	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. नागराजाधार बमुण्ड (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	48	श्री रत्नाकर द्विवेदी	रा.इ.का. खुड़बुड़ा	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. कण्डोई भरम (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	57	श्रीमती मंजू बहुगुणा	रा.इ.का. किशनपुर	रायपुर	देहरादून	रा.इ.का. काटल (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	62	श्रीमती बसु चौहान	रा.उ.मा.वि. रामपुर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. दौंक (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	77	श्री राजेश कुमार	रा.इ.का. डाकपत्थर	विकासनगर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. मैन्धथ (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	79	श्री चन्द्र शेखर दीक्षित	रा.उ.मा.वि. टाण्डा बन्हेड़ा	नारसन	हरिद्वार	रा.उ.मा.वि. क्यार्क बरसूड़ी (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	82	श्रीमती कुमुद मलासी	रा.उ.मा.वि. उरेगी	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. पैठाणी (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।



- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3241-70/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



**कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 180 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19**  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2) /19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-कला (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16	श्री ठाकुर सिंह राणा	रा.इ.का. खण्डाह	खिर्सू	पौड़ी	रा.इ.का. कुलासू (एकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	27	श्री अनूप सिंह रावत	रा.इ.का. ओजली	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. पैठाणी (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	45	श्री सुखदेव सिंह कुवंर	रा.इ.का. जवाड़ी	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. तैला (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	46	श्रीमती पुष्पा सजवाण	रा.उ.मा.वि. देवताधार	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. रगड़गांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	68	श्री निरन्जन प्रसाद डिमरी	रा.उ.मा.वि. मलारी	कर्णप्रयाग	चमोली	रा.इ.का. राड़ागाड़ (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	81	श्रीमती सरिता भट्ट	रा.उ.मा.वि. वाणिवीहार	रायपुर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. कोर्दी (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	84	श्रीमती रश्मि रावत	रा.उ.मा.वि. अगरोड़ा	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.इ.का. चोपड़ा (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।



कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 180 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2) /19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-कला (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16	श्री ठाकुर सिंह राणा	रा.इ.का. खण्डाह	खिर्सू	पौड़ी	रा.इ.का. कुलासू (एकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	27	श्री अनूप सिंह रावत	रा.इ.का. ओजली	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. पैठाणी (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	45	श्री सुखदेव सिंह कुंवर	रा.इ.का. जवाड़ी	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. तैला (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	46	श्रीमती पुष्पा सजवाण	रा.उ.मा.वि. देवताधार	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. रगड़गांव (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	68	श्री निरन्जन प्रसाद डिमरी	रा.उ.मा.वि. मलारी	कर्णप्रयाग	चमोली	रा.इ.का. राड़ागाड़ (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	81	श्रीमती सरिता भट्ट	रा.उ.मा.वि. वाणिवीहार	रायपुर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. कोर्दी (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	84	श्रीमती रश्मि रावत	रा.उ.मा.वि. अगरोड़ा	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.इ.का. चोपड़ा (थलीसैण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।



(5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

(6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3271-99/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 181 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX ( /19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-व्यायाम (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	श्री विमल सिंह रावत	रा.इ.का. द्वारा	रायपुर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. लसेरा (कोट) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	11	श्री विनय प्रसाद किमोठी	रा.उ.मा.वि. श्रीकोट गंगानाली	खिरसू	पौड़ी	रा.इ.का. देवीखेत (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	35	श्री गजेन्द्र सिंह नेगी	रा.इ.का. मसूरी	सहसपुर	देहरादून	रा.इ.का. राडागाड़ (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	52	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	रा.इ.का. गौचर	कर्णप्रयाग	चमोली	रा.उ.मा.वि. पुडियाणी (कर्णप्रयाग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	88	श्री मेहरबान सिंह कैन्तुरा	रा.उ.मा.वि. बादशाहीथौल	चम्बा	चमोली	रा.इ.का. सिलारी (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	92	श्री राजू भारती	रा.इ.का. दुआधार	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.उ.मा.वि. अमोला (यमकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3300-30 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



**कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 182 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19**  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2)/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-वाणिज्य (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	श्री रामाश्रय पाण्डेय	रा.इ.का. थल्यूड़	जौनपुर	टिहरी	रा.इ.का. भटवाड़ी (भटवाड़ी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	10	श्री दिनेश प्रसाद कोठियाल	रा.इ.का. रानीचौरी	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. नारायणबगड़ (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	22	श्री कैलाश चन्द्र जुयाल	रा.इ.का. पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. महड़जाली (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगरनिकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)  
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी



पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3331-50/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 183 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2)/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-कृषि (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44	श्री नरेश कुमार	रा.इ.का. चम्बा	चम्बा	टिहरी	रा.इ.का. मेंडखाल (थौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी


पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3351-60 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।



- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।  
6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।  
7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।  
8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

  
(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी



कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
 आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 184 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX 2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2) /19/ 30(13)/ 2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**विषय-विज्ञान (शाखा-सामान्य)**

क्र.सं.	पात्रता क्रमांक	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	श्री शशि शेखर ममगाई	रा.इ.का. खण्डाह	खिसू	पौड़ी	रा.इ.का. चोलोसैण (पाबों) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	24	श्रीमती मधु रानी बहुगुणा	रा.इ.का. डोभालवाला	रायपुर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. मयपाटा (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	40	श्री सतीश चन्द्र भट्ट	रा.इ.का. रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	रा.इ.का. देवीखेत (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	41	श्रीमती पुष्पा बिष्ट	रा.इ.का. दोमटखाल	पौड़ी	पौड़ी	रा.इ.का. बांडा (धौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	58	श्रीमती बीना डिमरी	रा.उ.मा.वि. जोगियाड़ा	जौनपुर	टिहरी	रा.इ.का. गडोरा (दशोली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	60	श्रीमती मुक्ता गौड़	रा.उ.मा.वि. कोरुवा	कालसी	देहरादून	रा.उ.मा.वि. लोहारी (चकराता) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	70	श्रीमती सुशीला रावत	रा.इ.का. पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. गहड़ (खिसू) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	93	श्री अरविन्द कुमार	रा.इ.का. डाकपत्थर	विकासनगर	देहरादून	रा.उ.मा.वि. क्यारी (कालसी) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

(6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निगर निकाय निर्वाचन श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल में आदर्श-आचार संहिता से प्रभावित शिक्षक/शिक्षिका आदर्श-आचार संहिता समाप्ति के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार मुक्त होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3361-99 /3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी